संख्या- 424 /2026/आर0एफ0-496/नौ-9-2026/116-ई-1922439

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, खेकड़ा,
जनपद-बागपत।

नगर विकास अनुभाग- 9 **लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-276/2024/1147/002-ई-1877648, दिनांक-18.12.2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित सी0सी0 सड़क एवं इण्टरलाकिंग साइड पटरी निर्माण कार्यो हेतु नगर पालिका परिषदखेकड़ा, जनपद-बागपत को कुल लागत धनराशि रू0 100.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष, कराये गये कार्यो की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-बागपत द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, जनपद-बागपत की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (ब्याज रहित ऋण), अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद खेकड़ा, जनपद-बागपत को द्वितीय किश्त की धनराशि **रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र)** अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करती हैं:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की **अनुदान संख्या-83,** के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02 मल जल तथा सफाई-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-**02-नगर पालिका परिषदें-30-निवेश/ऋण"** के नामे डाला जायेगा।

(2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 दिसम्बर, 2026 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) निकाय प्रश्नगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(5) उपर्युक्त शासनादेश संख्या-276/2024/1147/002-ई-1877648, दिनांक-18.12.2024 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेगे, तदोपरांत द्वितीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक- 19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रूपये 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र)** को चालू वितीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083** लेखा शीर्षक **6215027890402** नगर पंचायतें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 27-03-2026
20:06:07

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 424 /2026/आर0एफ0-496/नौ-9-2026/116-ई-1922439, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-बागपत।
6. कोषाधिकारी, जनपद-बागपत।
7. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
9. स्टेट पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विभाग।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-27/03/2026

प्रेषण संख्या:- 424
आवंटन आदेश संख्या:- 001-424-2026-RF-496-9-9-2026-116-E-1922439
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
02 - नगर पालिका परिषदें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बागपत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव